

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.), बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री यशार्थ शेखर (आई.ए.एस.)
अंतिम डिक्री
अनवान

वादीगण
 1. श्रीमती कमलादेवी पुत्री स्वर्गीय जुगताराम पत्नी देवीलाल जाति सुथार निवासी बेरियो का वास, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण
 1 श्रीमती हस्तुदेवी पत्नी जुगताराम 2. हुकमाराम पुत्र जुगताराम 3. कैलाश पुत्र जुगताराम जातियान सुथार निवासीयान बेरियो का वास, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण 5. श्रीमती माया पत्नी कैलाश जाति सुथार निवासी लक्ष्मीपुरा, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

दावा बाबत 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 15 / 2022

निर्णय दिनांक :- 09.12.2025

वकील वादीनी व वकील प्रतिवादी 01, 02 व 05 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.11.2025 को श्री यशार्थ शेखर, सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाड़मेर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 3958 / 3276 रकबा 1.2707 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 1.11 बीघा (0.2509 हैक्टेयर) का वादीनी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण वादीनी के नाम से उक्त भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद कर नक्शे में तरमीम करना सुनिश्चित करें।

अंतिम डिक्री आज तारीख 09.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(यशार्थ शेखर)
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर,
 (एस.डी.ओ.) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तागील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तागील			
जोड़		जोड़	